न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

राजस्व वाद संख्या 10/2018

पीठासीन अधिकारी–हर्षित वर्मा आर0ए0एस0

1. कृष्ण प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र ओमप्रकाश खण्डेलवाल, जाति खण्डेलवाल, निवासी ग्राम लालपुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती आशा सामरिया पत्नि श्री वेदप्रकाश सामरिया, जाति सामरिया, ग्राम लालपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. जसराज पुत्र शंकर लाल, जाति अहीर, निवासी बीड़ खातीपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. कालू पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ट्रांसपोर्ट नगर के पास, गजसिंहपुरा मेन गोपालपुरा रोड़ तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. राजसथान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक जयपुर तृतीय जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः–30/01/2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्रानुसार वाद पत्र का संक्षिप्तीकरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम लालरपुरा पटवार क्षेत्र हीरापुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयपुर पश्चिम तहसील जयपुर में स्थित आराजीयात् खसरा नं 21 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.18 को प्राथमिक डिक्री की गई तथा मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसीलदार जयपुर से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार जयपुर द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पत्रांक भू0 अ0/कोर्ट/2018/3925 दिनांक 10.07.18 के संलग्नक प्रेषित किये गये। तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव शामिल मिसल किये गये।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में संलग्नक दस्तावेजों व प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। [illegible] द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ पेश शपथ पत्र में सत्यता प्रकट होती है कि [illegible] के हिस्से अनुसार विभाजन चाहता है। अतः वादीगण वादपत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों के वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

क्र सं	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1		कृष्ण प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र ओमप्रकाश खण्डेलवाल हि. 1/2 आशा सामरिया पत्नि वेदप्रकाश सामरिया हि. 1/2	21	0.08	जाव 2 चाही 2	
		योग	1	0.08	जाव 2 चाही 2	
2		जसराम पुत्र शंकर लाल हि. 1/2 जाति अहिर सा. बीड़ खातीपुरा कालु पुत्र गोपाल हि. 07/20 जाति जाट सा. गजसिंहपुरा कृष्ण प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र ओमप्रकाश खण्डेलवाल हि. 3/40 व आशा सामरिया पत्नि वेदप्रकाश सामरिया हि. 3/40	21/2	0.10	जाव 2 चाही 2	
		योग	1	0.10	जाव 2 चाही 2	
3		जसराज पुत्र शंकरलाल हि. 37/58 जाति अहीर सा. बीड़खातीपुरा कालु पुत्र गोपाल हि. 21/58 जाति जाट सा. गजसिंहपुरा	21/1 21/3	0.12 0.17	जाव 2 चाही 2	
		योग	1	1.09	जाव 2 चाही 2	

उपुर्यक्त अनुसार खातेदारों के मध्य विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते तैयार करें तथा लगान का भी निर्धारण करें।

आज दिनांक 30.01.19 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अंतिम–डिक्री मुकदद्मा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी प्रथम, जयपुर .... मुकाम .... जयपुर..................

व अलजास .... हर्षित वर्मा RAS ....

.............................कृष्ण प्रकाश.............................बनाम...........................जसराज व वगै0...........................

दावा बाबत् – दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकददमा नं. ....10.............. सन् ....2018.................

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूवरू ....व हाजरी .... मिनजामिन मुददई रूवरू .... मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम लालरपुरा, पटवार हल्का क्षेत्र हीरापुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयपुर पश्चिम तहसील/जिला जयपुर में स्थित आराजीयात ख0न0 2 बीघा 07 बिस्वा में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात् का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है। (शेष पृष्ट 2 पर) निज..........................मवलिक........................ ....बावत् ....खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक .... को अदा करें।

वसूलियाव तक .... को अदा करें।

बसरब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.01 सन् 2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी (मुहर)

दस्तखत ....

उप खण्ड अधिकारी

ओहदा .... जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	--	
फीस कमिश्नर	--		बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	3	00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

Scanned by CamScanner